ग्राम पंचायत हलेड़ कलां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हिमाचल प्रदेश के लेखों का अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन

अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023

भाग-एक

1. प्रस्तावना

{क} ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के फलस्वरूप हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 118 में संशोधन होने व संयुक्त निदेशक एवं उप सचिव पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या PCH-HC-(5)C(15)LAD/2006-12669 दिनाँक 07-04-16 द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अंकेक्षण का दायित्व निदेशक, हि० प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग को सौंपें जाने के दृष्टिगत, ग्राम पंचायत हलेड़ कलां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01.04.22 से 31.03.23" तक के लेखों का अंकेक्षण हि.प्र राज्य लेखा परीक्षा विभाग द्वारा निष्पादित किया गया।

अंकेक्षण अवधि के दौरान ग्राम पंचायत में निम्नलिखित प्रधान/सचिव कार्यरत रहे :-

प्रधान:-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री अरुण कुमार	01-04-22 से 31-03-23

सचिव :-

क्रम संख्या	नाम	अवधि
1.	श्री इन्द्र राज सिंह	01-04-22 से 31-03-23

{ख} गम्भीर अनियमितताओं का सार:-

ग्राम पंचायत हलेड़ कलां के अवधि 01-04-2022 से 31-03-2023 के लेखों के अंकेक्षण एवं निरीक्षण के दौरान पाई गई गम्भीर अनियमितताओं का सार निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	पैरा सं०	अनियमितता का संक्षिप्त सार	राशि {₹ लाखों में}
1.	5	अनुदान राशि का उपयोग हेतु शेष पाया जाना	33.82

2.	7	पंचायत राजस्व राशि का वसूली हेतु शेष पाया जाना	1.37
3.	8	खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राजस्व हानि	0.75
4.	13	निर्माण कार्य C/O jeepable road main kuhal, Bal krishan cow shed ward no. 8 (शीर्ष मनरेगा) के लिए क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के लेखांकन/प्रयोग के फलस्वरूप अधिक/अनियमित व्यय करना	0.02

(ग) गत अंकेक्षण प्रतिवेदन :-

प्रायः यह भी देखने में आया है कि गत लेखा अंकेक्षण प्रतिवेदन के शेष पैरों पर पंचायत द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई थी जो अत्यंत चिंताजनक है । अतः ग्राम पंचायत इन लंबित पैरों के निपटारे हेतु विशेष कार्रवाई करनी सुनिश्चित करें तथा अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवायें ताकि अधिक से अधिक पैरों का निस्तारण संभव हो सके।

गत अंकेक्षण प्रतिवेदनों के शेष पैरों पर की गई कार्रवाई का अवलोकन करने के उपरान्त नवीनतम स्थिति इस अंकेक्षण प्रतिवेदन में निम्नलिखित दर्शायी गई है।

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2013 से 03/2016" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा 5	अनिर्णीत	
2.	पैरा 5.1	अनिर्णीत	
3.	पैरा 9	अनिर्णीत	
4.	पैरा 10	अनिर्णीत	
5.	पैरा 11	अनिर्णीत	
6.	पैरा 12	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2017 से 03/2019" तक

क्रम संख्या	पैरा संख्या	पैरा स्थिति	टिप्पणी
1.	पैरा 5	अनिर्णीत	
2.	पैरा 9	अनिर्णीत	

3.	पैरा 10	अनिर्णीत	
4.	पैरा 12	अनिर्णीत	
5.	पैरा 13	अनिर्णीत	
6.	पैरा 14	अनिर्णीत	
7.	पैरा 16	अनिर्णीत	

अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन अवधि "04/2020 से 03/2022" तक

1.	पैरा 3	निर्णीत	अंकेक्षण शुल्क प्राप्ति की पुष्टि उपरांत
2.	पैरा 4	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित
3.	पैरा 5	अनिर्णीत	
4.	पैरा 6	अनिर्णीत	
5.	पैरा 7	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख एवं सटिप्पण उतर के उपरांत
6.	पैरा 8	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित
7.	पैरा 9	निर्णीत	वर्तमान अंकेक्षण में पुन: प्रारूपित
8.	पैरा 10	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख एवं सटिप्पण उतर के उपरांत
9.	पैरा 11	अनिर्णीत	
10.	पैरा 12	अनिर्णीत	
11.	पैरा 13	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख एवं सटिप्पण उतर के उपरांत
12.	पैरा 14	निर्णीत	प्रस्तुत अभिलेख एवं सटिप्पण उतर के उपरांत
13.	पैरा 15	अनिर्णीत	
14.	पैरा 16	अनिर्णीत	

भाग – दो

2. वर्तमान अंकेक्षण:-

ग्राम पंचायत हलेड़ कलां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/2022 से 31/03 /2023" तक के लेखों का वर्तमान अंकेक्षण श्री अजय कुमार, कनिष्ठ लेखा परीक्षक द्वारा दिनाँक 12-12-2023 से 18-12-2023 के दौरान पंचायत कार्यालय, हलेड़ कलां में किया गया। लेखों की विस्तृतØ जाँच हेतु आय एवं व्यय के लिए मासों का चयन निम्न प्रकार से किया गया:-

वित्तीय वर्ष	आय	व्यय
2022-23	03/23	02/23

अस्वीकरण:- वर्तमान अंकेक्षण एवं निरीक्षण प्रतिवेदन का प्रारूपण पंचायत के सचिव/प्रधान द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचनाओं एवं अभिलेख के आधार पर किया गया है। उक्त पंचायत द्वारा अंकेक्षण को उपलब्ध करवाई गई किसी भी सूचना/अभिलेख के अपूर्ण/गलत व उपलब्ध न होने की स्थिति में अंकेक्षण प्रतिवेदन पर होने वाले किसी भी प्रभाव हेतु हि०प्र० राज्य लेखा परीक्षा विभाग उत्तरदायी नहीं होगा।

3. अंकेक्षण शुल्क:-

ग्राम पंचायत हलेड़ कलां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा के अवधि "01/04/22 से 31/03/23" तक के लेखों का अंकेक्षण शुल्क वास्तविक कार्य दिवसों के आधार पर **₹4,800**/- बनता है। उक्त अंकेक्षण शुल्क की राशि को रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से निदेशक, हिमाचल प्रदेश राज्य लेखा परीक्षा विभाग, शिमला -171009 को प्रेषित करने हेतु अंकेक्षण अधियाचना संख्या: 145 दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड़ कलां से अनुरोध किया गया।

4. वित्तीय स्थिति:-

ग्राम पंचायत हलेड़ कलां द्वारा प्रस्तुत अभिलेख के अनुसार ग्राम पंचायत के अवधि "01/04/22 से 31/03/23" के लेखों की वित्तीय स्थिति निम्न प्रकार थी :-

(क) स्वः स्त्रोत:- ग्राम पंचायत हलेड़ कलां के अवधि "01/04/22 से 31/03/23" तक स्व: स्त्रोत की वित्तीय स्थिति का विवरण निम्न प्रकार से है :-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	650105	128406.00	778511	257903.05	520607.95

{ख} **अनुदानः-** ग्राम पंचायत हलेड़ कलां के अवधि "01/04/22 से 31/03/23" के अनुदानों की वित्तीय स्थिति का संकलित विवरण निम्न प्रकार से है, जिसका विस्तृत विवरण संलग्न **परिशिष्ट -1** में दिया गया है:-

वर्ष	अथशेष	प्राप्ति	योग	व्यय	अन्तिम शेष
2022-23	2677357.35	8487911.26	11165268.61	7783541.26	3381727.35

{ग} **दिनाकं 31.03.23 को बैंक में जमा राशि का विवरण:-**

क्रम संख्या	शीर्ष	बैंक का नाम	खाता संख्या	राशि
1.	General/5thFC/MPLAD/VMJS/SDRF	KCCB Kangra	20033022846	918141.95
2.	14 FC	HDFCB Kangra	50100174100499	1.35
3.	15 FC	HDFCB Kangra	50100347348779	2983810
4.	**हस्तगत रोकड़**			382.00
	कुल योग			**3902335.3**

4.1 बैंक समाधान विवरणी:-

दिनांक 31-03-23 को बैंक अनुसार अन्त शेष	**3902335.3**
दिनांक 31-03-23 को वित्तीय स्थिति अनुसार अन्त शेष (क+ख)	**3902335.3**
अंतर	**0.00**

4.2 वर्गीकृत सार रजिस्टर (Classified Abstract) को न तैयार करने बारे:-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 29 (4) के अनुसार प्रत्येक पंचायत को फार्म 8 में वर्गीकृत सार को तैयार करते हुये एक आय तथा व्यय के लिए दो भागों में बनाया जाएगा जिसमें प्रत्येक मद के लिए एक अलग पन्ने पर प्रत्येक आय तथा व्यय के लेन देन के लिए अलग-अलग प्रविष्टि की जाएगी। प्रत्येक माह के अन्त में मासिक तथा प्रगतिशील योग के लिए प्रविष्टि की जाएगी। इस सार को बनाए जाने का

उद्देश्य आय-व्यय को बजट के अनुसार नियन्त्रित रखा जाना है। इसके न बनाए जाने के कारण अंकेक्षण के दौरान पंचायत के आय तथा व्यय के आंकड़ों का मिलान बजट के साथ करने में न केवल मुश्किल आई परन्तु आय-व्यय विवरणी तथा वित्तीय स्थिति तैयार करने में भी समय की बर्बादी हुई। इस बारे उचित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए भविष्य के लिए नियमानुसार वर्गीकृत सार तैयार करना सुनिश्चित किया जाये।

5. अनुदान राशि ₹33.82 लाख का उपयोग हेतु शेष पाया जाना:-

पंचायत सचिव द्वारा अनुदानों से सम्बन्धित उपलब्ध करवाई गई सूचना **{परिशिष्ट-क}** के अनुसार दिनांक 31-03-23 तक अनुदान राशि ₹3381727.35 उपयोग हेतु शेष थी। ग्राम पंचायत द्वारा विभिन्न विकासात्मक कार्यों हेतु प्राप्त अनुदानों के स्वीकृति पत्र की शर्त अनुसार अनुदान राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय किया जाना था, जबकि पंचायत द्वारा अनुदान की राशि को विहित अवधि के दौरान व्यय न करने के कारण धन का अवरोधन होने के साथ-साथ सरकारी योजनाओं से ग्रामीणों को होने वाले लाभ से भी वंचित होना पड़ा, जोकि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 9 की अवहेलना है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143(1) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत हलेड़ कलां से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वर्णित शेष अनुदान राशियों को यथाशीघ्र निर्धारित उद्देश्यों हेतु उपयोग किया जाना सुनिश्चित किया जाए व अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

6. प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में ₹0.01 लाख अंतर:-

पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के तत्वाधान में वर्ष 2010-11 में पंचायत मिशन प्रोजेक्ट (एम. एम. पी.) प्रारम्भ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत विभिन्न एप्लीकेशन है जिनमें पंचायत की दैनिक कार्यवाही जैसे कि पंचायत द्वारा की गई सेवाओं/सामान खरीद/भुगतान सम्पति इत्यादि का इन्द्राज करना था।

अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि अंकेक्षण अवधि के दौरान प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में निम्न अंतर पाया गया:-

(क) प्रियासॉफ्ट रोकड़ बही में दर्शाए गए शेष तथा बैंक पास बुक शेष में अंतर पाया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है:- (Except MNREGA + SBM) (SBM Cash book is maintained in PFMS Software)

वर्ष	**प्रियासॉफ्ट के अनुसार बैंक शेष**	**बैंक पासबुक के अनुसार शेष+(CASH IN HAND)**	**अंतर**
2022-23	3901953.30+1382(Cash in Hand) = 3903335.30	**3902335.30**	1000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143(3) दिनांक18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउत्तर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

7. पंचायत राजस्व राशि ₹1.37 लाख का वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

(क) गृह कर की नियमित उगाही न करने के कारण ₹0.58 लाख का पंचायत राजस्व वसूली हेतु शेष पाया जाना :-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज वित्त नियम 2002 के नियम 33 तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 102 के अंतर्गत प्रत्येक ग्राम पंचायत को अपने कार्यक्षेत्र में निर्धारित दर से गृह कर आरोपित करने तथा उसके संग्रहण का अधिकार है।

ग्राम पंचायत सचिव द्वारा अपने अधीनस्थ सभी स्त्रोतों जहां से राजस्व उत्पन्न होता है, इतनी रकम का, जितनी बैंक, खजाना या अन्य लेखा-जोखा दिया है के लिए उधार दावा करते हुए, मासिक लेखे और विवरणी, अभिप्राप्त करने की व्यवस्था करेगा और उन्हें प्रारूप 10 में मांग रजिस्टर में नोट करवाएगा।

ग्राम पंचायत के अभिलेखों की जाँच में पाया गया कि गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख अर्थात गृह कर के मांग व संग्रहण रजिस्टर का रख-रखाव नहीं किया गया था। पंचायत द्वारा दी गई सूचना के अनुसार पंचायत ने अपने अधिकार क्षेत्र में वर्ष 2022-23 के दौरान ₹50 प्रति वर्ष की दर से गृह कर आरोपित किया था एवं राशि ₹58000 के पंचायत राजस्व की वसूली

दिनांक 31.03.23 को शेष थी; जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** व नीचे तालिका में दिया गया है:-

सम्पति कर:-

वर्ष	पंजीकृत परिवारों की संख्या	दर	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2021-22	1160	50	6800	58000	64800	6800	58000

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि गृह कर की नियमित वसूली नहीं की गई थी। मांग व वसूली रजिस्टर का साधारण प्रारूप -10 पर नहीं किया गया था जिससे कि लम्बित गृह कर तथा वसूली का सही पता लगाया जा सके। अत: गृह कर से सम्बन्धित अभिलेख का संधारण न करना तथा गृह कर नियमित रूप से वसूल न करना इस बात की ओर संकेत करता है किं पंचायत अपनी आय बढ़ाने एवं कर उगाही के प्रति गम्भीर नहीं है, जो कि उपरोक्त नियमों की अवहेलना है।

(ख) दुकानों से किराया :-

ग्राम पंचायत द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में विभिन्न दुकानों/खोखों का निर्माण किया गया है तथा उन्हें किराये/पट्टे पर दिया गया है। ग्राम पंचायत द्वारा अंकेक्षण में उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार दिनांक 31.03.2023 को ₹69000 दुकानों के किराए के रूप में वसूली हेतू शेष थे जिसका विवरण **परिशिष्ट – ख** व नीचे तालिका में दिया गया है :-

वर्ष	आ. शेष	मांग	योग	प्राप्ति	वसूली हेतु शेष राशि
2022-23	79000	12000	91000	22000	69000

(ग) मोबाइल टावर के रूप में वसूली योग्य राशि :-

COMPANY NAME	PERIOD	ESTABLISH YEAR	OPENING BAL	ESTABLISH FEES	RENEWAL FEES	TOTAL DEMAND	COLLECTION	CLOSING BAL
JIO	2022-23	21.07.2020	10000	0	0	10000	0	10000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 143(2) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से उपरोक्त वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया जिसकी अनुपालना में उनके प्रत्तिउत्तर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्रवाई करके अंकेक्षण को सूचित कर दिया जाएगा।

अतः लम्बित करों एवं बकाया राजस्व की शीघ्र वसूली हेतु नियमानुसार प्राथमिकता के आधार पर अपेक्षित कार्यवाही अमल में लाई जानी सुनिश्चित की जाए तथा अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

8. खनन सामग्री के आपूर्ति बिलों से रॉयल्टी की कटौती सुनिश्चित न करने से राशि ₹0.75 लाख की राजस्व हानि:-

हिमाचल प्रदेश माइनर मिनरल्स नियम, 2015 के नियम '81' व '81 ए' के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा खनन सामग्री की आपूर्ति करने पर अधिकृत माइनिंग लीज होल्डर द्वारा जारी व माइनिंग अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित ट्रांजिट पास (फार्म-डब्ल्यू) या सप्लीमेंटरी पास (फार्म-एक्स) उपलब्ध करवाना अनिवार्य है अन्यथा उक्त नियम की द्वितीय अनुसूची के अनुसार निम्न दरों से रॉयल्टी का भुगतान 25% पेनल्टी सहित करना होगा।

अंकेक्षण के दौरान ग्राम पंचायत द्वारा वर्ष 2022-23 के दौरान रेत, बजरी, पत्थर की खरीद की गयी थी परन्तु आपूर्तिकर्ता के खनन सामग्री जैसे रेत, बजरी, पत्थर इत्यादि की आपूर्ति के सम्बन्ध में उक्त ट्रांजिट पास अंकेक्षण में प्रस्तुत नहीं किये गए परिणामस्वरूप आपूर्तिकर्ताओं को निम्न विवरणानुसार **₹75174/-** का अनियमित भुगतान किया गया था:-

नाम	**मात्रा (cum)**	**फैक्टर**	**कुल मात्रा**	**दर (प्रति टन)**	**राशि**
रेत	110.42	1.62	178.88	80	14310
बजरी	197.70	1.52	300.50	80	24040
पत्थर	121.59	2.24	272.36	80	21789
				कुल योग	**60139**
				पेनल्टी 25%	**15035**
				कुल योग	**75174/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(4) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि नियमों की जानकारी न होने के कारण रॉयल्टी की गणना नहीं की जा सकी प्रस्तुत उतर संतोषजनक नहीं है।

अतः **₹75174/-** के अनियमित भुगतान को या तो नियमानुसार समर्थित अभिलेख सहित पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाये अन्यथा इसकी वसूली उचित स्त्रोत से करके हि. प्र. सरकार के आय लेखा शीर्षक "0853-Non ferrous mining and Metallurgical Industries,102-Mineral Concession fees and Royalties, 81-Other receipts" में जमा करवाकर अनुपालना से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

इसके अतिरिक्त यहाँ पर यह भी स्पष्ट किया जाता है कि अंकेक्षण द्वारा केवल चयनित माह के भुगतानों को रॉयल्टी के लिए जाँचा गया है। शेष अवधि में हुए ऐसे भुगतानों की जाँच अपने स्तर पर करके नियमानुसार देय रॉयल्टी की वसूली करना सुनिश्चित करें।

9. बिल/ वाउचरों के भुगतान हेतु पारित आदेश सम्बन्धी औपचारिकताओं को पूरा न करना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संख्यापरीक्षा, संख्याकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 49(1) में पंचायत द्वारा भुगतान आदेश जारी करने सम्बन्धी औपचारिकताएं प्राविधित हैं।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा अंकेक्षण अवधि 04/2022 से 03/2023 के दौरान बिलों का भुगतान हेतू उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा नहीं किया गया था जिनमें से चयनित माह के व्यय का विवरण निम्न दिया गया है :-

क्र° स°	**वर्ष**	**चयनित माह**	**चयनित माह में पारित बिलों की कुल राशि**
1.	2022-23	02/2023	**1324900.54**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(5) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउतर क्रमांक: 35दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

10. बिल / वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित न होना:-

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 7(1) के अनुसार "पंचायत के सचिव प्रत्येक वाउचर पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक उल्लेखित करेगा" ।

अंकेक्षण हेतु चयनित माह 02/23 के व्यय वाउचरों के अवलोकन पर पाया गया कि माह 02/23 के दौरान व्यय की गई राशि से सम्बन्धित बिल/ वाउचरों पर प्रस्ताव संख्या व दिनांक अंकित नहीं थे जो कि उपरोक्त नियमों के विपरित है |

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(6) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक: 35दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है कि समस्त भुगतान बिलों की अदायगी हेतु उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

11. मापन पुस्तिकाओं का सम्बन्धित विभागीय उच्च तकनीकी अधिकारियों से नमूना जाँच व सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित, बजट, लेखे, सम्परीक्षा, सकर्म, कराधान और भत्ते) नियम 2002 के नियम 104 (i) व (ii) के अनुसार ग्राम पंचायत अपने स्तर पर निष्पादित किये जाने वाले संकर्मो की दशा में, तकनीकी सहायक द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण अनिवार्य होगा तथा सम्बद्ध कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा, तकनीकी सहायक के तीन लाख रूपये तक की लागत के पैमाइश किये गये संकर्मो के दस प्रतिशत पर परीक्षण जाँच संचालित करना अपेक्षित है तथा नियम 101 (ग) के अनुसार तकनीकी सहायकों की माप पुस्तिकाओं को कनिष्ठ अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित करना अपेक्षित है |

अंकेक्षण के दौरान नमूना जाँच में पाया गया कि उपरोक्त नियम की अनुपालना ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की जा रही थी, जिसमें से कुछ प्रकरणों का विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	निर्माण कार्य का नाम	शीर्ष	स्वीकृत राशि	माप पुस्तिका व पेज संख्या
1.	C/O path/jeepable road mandir top shmshan ghat	मनरेगा	300000	90/17822 pg no. 61-63
2.	C/O jeepable road naresh house to chakar khad bridge	मनरेगा	192000	90/17822 pg no. 46-48
3.	C/O jeepable road main kuhal, Bal krishan cow shed ward no. 8	मनरेगा	295000	90/17822 pg no. 60-61

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(7) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए ।

12. क्रय की गई सामग्री के लिए आपूर्तिकर्ताओं को नगद में भुगतान करने बारेः-

हि०प्र० पंचायती राज {वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते} नियम 2002 के नियम 10(2) के अनुसार ग्राम पंचायत द्वारा सामग्री के क्रय के लिए आपूर्तिकर्ता को किए जाने वाले संदाय/भुगतान केवल क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँगे।

अंकेक्षण के दौरान पंचायत के अभिलेखों के अवलोकन पर पाया गया कि निम्नलिखित अदायगियां नगद की गई थी जिसका विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्रम संख्या	वाउचर संख्या/दिनांक	क्रय की गई सामग्री	रोकड़ पृष्ठ संख्या	भुगतान की गई राशि
1.	49/09.12.2022	**कंप्यूटर रिपेयर**	141	3050
2.	79/22.02.2023	बिजली बिल	09	1000

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(8) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में

उनके प्रतिउतर क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अतः परामर्श दिया जाता है उपरोक्त नियम की औपचारिकताओं को पूरा करना सुनिश्चित किया जाए तथा भविष्य में की जाने वाली अदायगियों का भुगतान उपरोक्त नियम के अनुसार क्रास-चैक द्वारा ही किए जाएँ तथा सुधारात्मक अनुपालना से अंकेक्षण को भी अवगत करवाया जाए।

13. निर्माण कार्य C/O jeepable road main kuhal, Bal krishan cow shed ward no. 8 (शीर्ष मनरेगा) के लिए क्रय सामान की अपेक्षा कम सामान के लेखांकन/प्रयोग के फलस्वरूप ₹1610/- का अधिक/अनियमित व्यय करने बारे:-

निर्माण कार्य C/O jeepable road main kuhal, Bal krishan cow shed ward no. 8 की जाँच के दौरान पाया गया कि माप पुस्तिका संख्या 90/17822, पृष्ट संख्या 60-61, में निर्माण सामग्री (बजरी) का माप पुस्तिका में निष्पादन कम किया दर्शाया गया था जबकि इस कार्य के लिए निर्माण सामग्री (बजरी) का क्रय अधिक किया गया था और बची हुई सामग्री को स्टॉक रजिस्टर में भी वापिस नहीं लिया गया था जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम संख्या	सामग्री का नाम	क्रय की गयी सामग्री की मात्रा	निर्माण कार्य पर उपयोग हुई सामग्री की मात्रा	अंतर	दर	राशि
1	बजरी	33.71 cubm	32.60 cubm	1.11 cubm	1450	1610
	कुल योग					**1610/-**

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(9) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस वित्तीय अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: उक्त कार्यों हेतु क्रय निर्माण सामग्री की अपेक्षा कम सामान के प्रयोग/लेखांकन के फलस्वरूप अधिक भुगतान/अनियमित व्यय को पूर्ण न्यायोचित ठहराया जाए अन्यथा उक्त राशि की वसूली सम्बन्धित व्यय जैसे ढुलाई आदि सहित उचित स्त्रोत से करके अंकेक्षण को अवगत करवाया जाए।

14. विहित रजिस्टरों/अभिलेख का रख-रखाव न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 29 से 31 व हि०प्र० पंचायती राज (सामान्य) नियमावली, 1997 के नियम 34 के अंतर्गत पंचायत द्वारा विभिन्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव किया जाना अनिवार्य था।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा निम्न रजिस्टरों/अभिलेखों का रख-रखाव नहीं किया गया था, जोकि अनियमित व आपत्तिजनक है।

अंकेक्षण अधियाचना संख्या 144(10) दिनांक 18.12.2023 द्वारा सचिव, ग्राम पंचायत से इस अनियमितता बारे वस्तुस्थिति स्पष्ट करने हेतु अनुरोध किया गया, जिसकी अनुपालना में उनके प्रतिउतर संख्या क्रमांक: 35 दिनांक 18.12.2023 द्वारा अंकेक्षण को अवगत करवाया गया कि इस विषय में कार्यवाही करके अंकेक्षण को अवगत करवा दिया जाएगा।

अत: अंकेक्षण को दिये आश्वासनानुसार वस्तुस्थिति अनुसार कृत अपेक्षित कार्यवाही से अंकेक्षण को अवगत करवाया जाना सुनिश्चित करें।

क्र. स.	रजिस्टर/अभिलेख	फॉर्म संख्या	सन्दर्भित नियम
1	निवेश रजिस्टर	1	12
2	अस्थाई अग्रिमों का रजिस्टर	9	30
3	सहायक अनुदान रजिस्टर, हि. प्र. पंचायती राज सामान्य नियम 1997	8	34
4	बिल रजिस्टर	13	48
5	स्टेशनरी रजिस्टर	28	72(1) (सी,डी)
6	निर्माण कार्यों की खण्ड विकास अधिकारी से प्राप्त तकनीकी स्वीकृतियों का रजिस्टर	31	95(1)

15. भण्डार का प्रत्यक्ष सत्यापन न करना:-

हि० प्र० पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखें, संकर्म, कराधान व भत्ते) नियम 2002 के नियम 73 के अन्तर्गत पंचायत के भण्डार का प्रत्येक 6 माह बाद प्रत्यक्ष सत्यापन किया जाना अपेक्षित है।

अंकेक्षण के दौरान पाया गया कि पंचायत द्वारा भण्डार का नियमानुसार प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया था, जिस बारे में स्थिति स्पष्ट की जाए तथा इस सन्दर्भ में अपेक्षित कार्रवाई अमल में लाकर अनुपालना से इस विभाग को अवगत करवाया।

16. **लघु-आपति विवरणिका :-** लघु आपत्तियों का मौके पर ही निपटारा कर दिया गया है यह संस्था को अलग से जारी नहीं की गई हैं।

17. **निष्कर्ष:-** लेखों के रख-रखाव में सुधार एवं कड़े निरीक्षण की आवयश्कता है।

13 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

1343–1347

पृष्ठांकन संख्याः फिन(एल0ए0)एच(पंच)(xv)(2)22/2016–खण्ड–1 दिनाँक, शिमला–09,
प्रतिलिपिः निम्न को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1 निदेशक, पंचायती राज विभाग हि0प्र0, कुसुम्पटी शिमला–171009 को पैरा संख्या 1 (ख) में वर्णित अनियमितताओं पर एक माह के भीतर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए निर्देश जारी करने हेतु प्रेषित है।

2 उप सचिव एवं समिति अधिकारी स्थानीय निधि लेखा समिति हि0प्र0 विधानसभा शिमला–4 को सूचनार्थ प्रेषित है।

3 जिला पंचायत अधिकारी काँगड़ा, जिला काँगड़ा, हि0प्र0।

4 खण्ड विकास अधिकारी, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0)।

पंजीकृत 5 सचिव, ग्राम पंचायत हलेड़कलां, विकास खण्ड काँगड़ा, जिला काँगड़ा (हि0प्र0) को इस आशय के साथ प्रेषित की जाती है कि वह इस अंकेक्षण प्रतिवेदन पर उचित कार्रवाई करके सटिप्पण उत्तर इस विभाग को एक माह के भीतर भेजना सुनिश्चित करें।

13 MAR 2024

(श्रीराम सुनील)
सहायक निदेशक,
हि0प्र0 राज्य लेखा परीक्षा विभाग,
शिमला–171009

का0/प्रति

BAL OF SABHA NIDHI AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT HALER KALAN BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA PINCODE 176001

YEAR	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
2021-22	650105	128406.00	778511	257903.05	520607.95

650105

CERTIFIED THAT THE OPENING BAL OF SABHA NIDHI AS ON 01-04-2022 IN CASH BOOK

J.A

PANCHAYAT HALER KALAN
DEV BLOCK KANGRA KANGRA

परिशिष्ट "क" पैरा 5 के संदर्भ में

FINANCIAL POSITION OF GRANT-IN-AID OF GP HALER KALAN BLOCK KANGRA FOR THE YEAR 2022-23

S.NO.	Head	Opening Balances	Reciepts	Total	Expenditure	Closing Balances
1	14TH FC	43024.35	0.00	43024.35	43024.00	0.35
2	MGNREGA	0	4474937.26	4474937.26	4474937.26	0.00
3	ZP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
4	5TH FC	283689	363826.00	647515.00	349598	297917.00
5	SBM	0	112269.00	112269.00	112269.00	0.00
6	MPLAD	100000	0.00	100000.00	0.00	100000.00
7	MMAGY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
8	VKVNY	0	0.00	0.00	0	0.00
9	SDRF	15000	0.00	15000.00	15000.00	0.00
10	13TH FC	0	0.00	0.00	0.00	0.00
11	PS	0	0.00	0.00	0.00	0.00
12	VMJS	200000	60000.00	260000.00	260000.00	0.00
13	RGSA	0	0.00	0.00	0.00	0.00
14	SDP	0	0.00	0.00	0.00	0.00
15	MMGPY	0	0.00	0.00	0.00	0.00
16	15TH FC	2035644	3476879.00	5512523.00	2528713.00	2983810.00
	TOTAL	2677357.35	8487911.26	11165268.61	7783541.26	3381727.35

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT HALER KALAN

DEV BLOCK KANGRA, KANGRA H.P

SSC

Ajay

J.A

17

BANK DETAIL OF GP HALER KALAN BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 01-04-22

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5thFC/MPLAD/VMJS/SDRF	KCC	20033022846	1248129
2	**14 FC**	HDFC	50100174100499	113164.35
3	**15 FC**	HDFC	50100347348779	1937744
14	**CASH IN HAND**			665
			TOTAL	**3299702.35**

CERTIFIED THAT THE BANK BALANCE AS ON 31-03-23

S.NO	HEAD	BANK NAME	ACCOUNT NO	AMT
1	General/5thFC/MPLAD/V	KCC	20033022846	918141.95
2	**14 FC**	HDFC	50100174100499	1.35
3	**15 FC**	HDFC	50100347348779	2983810
14	**CASH IN HAND**			382
			TOTAL	**3902335.30**

J-A

GRAM PANCHAYAT HALER KALAN
DEV BLOCK KANGRA KANGRA H.P.

परिशिष्ट - "ख" पैरा 7 के संदर्भ में

HOUSE TAX O/STANDING AS ON 31-03-23 OF GRAM PANCHAYT HALER KALAN BLOCK KANGRA DISTRICT KANGRA

YEAR	NUMBER OF HOUSEHOLD	RATE	O.BAL	DEMAND	TOTAL	COLLECTION	C.BAL
2022-23	1160	50	6800	58000	64800	6800	58000

PRADHAN SECY
GRAM PANCHAYAT HALER KALAN
DEV BLOCK KANGRA KANGRA H.P.

19

19

परिशिष्ट "ख(i)" पैरा 7 के संदर्भ में

SHOP RENT AMOUNT OUTSTANDING AS ON 31-03-2023 OF GRAM PANCHAYAT HALER KALAN BLOCK KANGRA DISTRICT

YEAR	No. of shops	Opening Balance	Demand	Total	Collection	Outstanding Amount
2022-23	2	79000	12000	91000	22000	69000

20

परिशिष्ट "ख(2)" पैरा 7 के सन्दर्भ में.

OUTSTANDING BAL OF MOBILE TOWER AS ON 31-03-23

COMPANY NAME	PERIOD	ESTABLISH YEAR	OPENING BAL	ESTABLISH FEES	RENEWAL FEES	TOTAL DEMAND	COLLECTION	CLOSING BAL
JIO	2022-23	21.07.2020	10000	0	0	10000	0	10000

PRADHAN

GRAM PANCHAYAT ... KALAN
DEV BLOCK KANGRA KANGRA, HP